रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2637]नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 13, 2017/भाद्र 22, 1939No. 2637]NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 13, 2017/ BHADRA 22, 1939

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2017

का.आ. 3013(अ).—चूंकि, भारी उद्योग विभाग ने अपने का. आ. 830(अ) दिनांक 13 मार्च, 2015 के अनुसार, फेम-इंडिया [भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण] नामक स्कीम अधिसूचित की ।

2. और चूंकि, इस स्कीम का चरण-I 01 अप्रैल, 2015 से प्रारंभ करके 2 वर्ष की अवधि अर्थात् वित्त वर्ष 2015-16 और वित्त वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित किया गया।

3. और चूंकि, का.आ. 1055(अ) दिनांक 30 मार्च, 2017 के द्वारा फेम-इंडिया स्कीम के चरण-I को और छह माह की अवधि अर्थात् 30 सितम्बर, 2017 अथवा चरण-II का अनुमोदन होने, जो भी पहले हो, तक के लिए आगे बढ़ाया गया था।

4. अतः अब फेम-इंडिया स्कीम की अवधि को और छह माह की अवधि अर्थात् 31 मार्च, 2018 अथवा नीति आयोग द्वारा स्कीम के चरण-II का शुभारंभ करने, जो भी पहले हो, तक के लिए आगे बढ़ाया गया है।

5. अतः, फेम-इंडिया [भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण] स्कीम की अधिसूचना सं. का.आ. 830(अ) दिनांक 13 मार्च, 2015 और का.आ. 1055(अ) दिनांक 30 मार्च, 2017 तद्नुसार संशोधित की जाती हैं।

> [फा.सं. 12(14)/2017-एईआई] विश्वजीत सहाय, संयुक्त सचिव

5657 GI/2017

(1)

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES

(Department of Heavy Industry)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2017

S.O. 3013(E).—Whereas, the Department of Heavy Industry notified the scheme namely FAME-India (Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid &) Electric Vehicles in India) vide S.O. 830(E) dated 13th March, 2015.

2. And whereas, the Phase-I of the FAME-India Scheme was for two years i.e. FY 2015-16 and FY 2016-17 which commenced from 1st April, 2015.

3. And whereas, the Phase-I of the FAME-India Scheme was further extended for a further period of six months i.e. up to 30^{th} September, 2017 or till approval of Phase-II, whichever is earlier, *vide* S.O.1055(E) dated 30^{th} March, 2017.

4. Now therefore the period of the FAME-India Scheme is further extended for a further period of six months i.e. up to 31st March, 2018 or till launching of Phase-II of the Scheme by NITI Aayog, whichever is earlier.

5. Therefore, FAME-India [Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid &) Electric Vehicles in India] scheme notification *vide* S.O. 830(E) dated 13th March, 2015 and S.O. 1055(E) dated 30th March, 2017 stands amended accordingly.

[F. No. 12(14)/2017-AEI] VISHVAJIT SAHAY, Jt. Secy.



Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.